

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

जेराम पिता उमा गुर्जर नि. मोतीपुरा
बनाम

देवकरण पिता गोकल गुर्जर नि. मोतीपुरा वगैरह

मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए.

मुकदमा नं. 785/23


क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
---------	-----------------------------------	--

3 प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम मोतीपुरा प. ह. गांगीथला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 140 रकबा 0.4209 हेक्टेयर, ग्राम राममोहनपुरा प. ह. गांगीथला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 222 रकबा 0.7608 कुल कित्ता हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम मोतीपुरा प. ह. गांगीथला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 140 रकबा 0.4209 हेक्टेयर, ग्राम राममोहनपुरा प. ह. गांगीथला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 222 रकबा 0.7608 कुल कित्ता हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 5.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

/रीडर/2023/785/2023

दिनांक :- 5.07.2023

हसीलदार जहाजपुर

य :- प्र. सं. 785/2023 अनवान जेराम पिता उमा गुर्जर नि. मोतीपुरा बनाम देवकरण पिता गोकल गुर्जर नि. मोतीपुरा, रामकरण पिता गोकल गुर्जर नि. मोतीपुरा, गोपाल पिता होक्मा गुर्जर नि. मोतीपुरा, दुर्गा पिता होक्मा गुर्जर नि. मोतीपुरा, पांचू पिता फुमा गुर्जर नि. मोतीपुरा, रंगलाल पिता सुखदेव गुर्जर नि. मोतीपुरा, कलु पिता भूरा गुर्जर नि. मोतीपुरा, तहसीलदार वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम मोतीपुरा प. ह. गांगीथला तहसील जहाजपुर गा. न. 140 रकबा 0.4209 हेक्टेयर, ग्राम राममोहनपुरा प. ह. गांगीथला तहसील जहाजपुर में स्थित 2 रकबा 0.7608 कुल कित्ता हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भूरीक्षक कुराडिया को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो उनके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष को प्रभावित नहीं किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)